



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 15, 2018/फाल्गुन 24, 1939

No. 141]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 2018/PHALGUNA 24, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2018

**सा.का.नि. 231(अ).**—केन्द्रीय सरकार, गैस सिलेंडर नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 09(अ), तारीख 04.01.2018 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 4 जनवरी, 2018 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख, जिसको अधिसूचना जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, से तीस दिन की समाप्ति से पहले आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे :

और, उक्त अधिसूचना जनता को 4 जनवरी, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त हुए आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यकतः विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गैस सिलेंडर नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गैस सिलेंडर (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गैस सिलेंडर नियम, 2016 (जिसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 48 में, उप-नियम (3) के रथान पर निम्नलिखित रथा जाएगा, अर्थात् :-

(3) उप-नियम (1) के अधीन “अनापत्ति प्रमाणपत्र” की अपेक्षा निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्ररूप ‘च’ में अनुजस्ति के लिए लागू नहीं होगी,-

(क) ज्वलनशील या विषैली या संक्षारक गैसों के भंडारण के लिए, जो भरण संयंत्र वा भाग है; और

(ब) सिलेंडरों में द्रवित पेट्रोलियम गैस के भंडारण के लिए वर्तमान “अनापत्ति प्रमाणपत्र” त्वारीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत या सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकाय से अभिप्राप किया जाएगा।

NOW WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Gas Cylinders Rules, 2016, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Gas Cylinders (Second amendment) Rules, 2018.  
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Gas Cylinders Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 48, for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:-  
 “(3) The requirement of the “No Objection Certificate” under sub-rule (1) shall not be applicable for a license in form “F”, -  
 (a) for storage of flammable or toxic or corrosive gases forming part of cylinder filling plant ; and  
 (b) for storage of Liquefied Petroleum Gas in cylinders, provided “No Objection Certificate” shall be obtained from the local body such as Gram Panchayat or the urban local body concerned.”